रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938
No. 576] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2017

का.आ. 644(अ).—सेवाओं अथवा प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षताकुशलता लाता है, और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए विविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और नीचे सूचीबद्ध स्कीमों के अधीन छात्रवृत्ति प्रसुविधा में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अन्तर्विलित है;

(i) बीड़ी कर्मकारों के बालकों को छात्रवृत्ति;

(ii) सिने कर्मकारों के बालकों को छात्रवृत्ति;

(iii) लौह-मैंगनीज और क्रोम अयस्क कर्मकारों के बालकों को छात्रवृत्ति;

(iv) चूना-पत्थर और डोलोमाइट कर्मकारों के बालकों को छात्रवृत्ति; और

(v) एनसीएलपी के अधीन विशेष विद्यालयों में के बालकों को वृत्तिका;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) ऊपर सूचीबद्ध स्कीमों के अधीन छात्रवृत्ति प्रसुविधा पाने के इच्छुक किसी व्यक्ति से आधार पास होने का सबूत प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा है।

(2) ऊपर सूचीबद्ध स्कीमों के अधीन छात्रवृत्ति प्रसुविधा पाने का इच्छुक कोई ऐसा व्यक्ति से, जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा है, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार श्रम कल्याण संगठन से या कल्याण आयुक्त के कार्यालय या मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रस्तुत करने की अपेक्षा है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और आस-पड़ोस में कोई आधार नामांकन केन्द्र नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार का श्रम कल्याण संगठन विद्यमान यूआईडीएआई के रजिस्ट्रॉरों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाओं की व्यवाज्या कर सकेगा या यूआईडीएआई के रजिस्ट्रॉर बनाकर और कल्याण आयुक्त के कार्यालय या मैट्रिक अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को नामांकन अभिकरण के रूप में लगाकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे।

परन्तु व्यक्ति को आधार दिए जाने तक, ऐसे व्यक्ति को, ऊपर सूचीबद्ध स्कीमों के अधीन छात्रवृत्ति प्रसुविधा निम्नलिखित दस्तावेज पेश किए जाने के अध्ययधीन दी जाएगी अर्थात्:-

(क) (i) कर्मकार का पहचान-पत्र (जिसमें आश्रितों के नाम अन्तर्विष्ट हों);

(ii) यदि वह नामांकित हो, तो उसकी आधार नामांकन की पहचान-पत्र पर्ची; या

(iii) पैरा 2 के उप-पैरा(2) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए उसके अनुरोध की प्रति, तथा

(ख) पहचान के निम्नलिखित सबूत-

(i) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट या

(iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो वाला पहचान प्रमाण-पत्र; या

(vi) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से पदानिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. ऊपर सूचीबद्ध स्कीमों के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध छात्रवृत्ति प्रसुविधा उपलब्ध कराने के लिए, राज्य सरकार का श्रम कल्याण संगठन, कल्याण आयुक्त के कार्यालय या मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य साधनों के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(1) आवेदकों या फायदाग्राहियों को, ऊपर सूचीबद्ध योजनाओं के अधीन छात्रवृत्ति प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा से उन्हें अवगत कराने के लिए मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा मीडिया और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा तथा उन्हें, पहले से नामांकित न होने की स्थिति में, उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्र में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय क्षेत्रों में उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(2) यदि, फायदाग्राही कल्याण आयुक्त के कार्यालय या मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा संस्थाओं अथवा उनके निवास स्थान से पाँच से सात किलोमीटर की दूरी के भीतर नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण नामांकन नहीं करा पाते हैं, तो राज्य सरकार के श्रम कल्याण संगठन से यह अपेक्षित है कि वह सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधा-केन्द्र का सृजन करे। आवेदकों या फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जाए कि वह अपने नाम उस संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र, जहां वह अध्ययनरत है, पता, अपने वेब पोर्टल पर दिए मोबाइल नंबर जैसे अन्य ब्यौरों के साथ देकर नामांकन हेतु अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराए तथा ऐसा अनुरोध कल्याण आयुक्त के कार्यालय या मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में भी रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. जैड-20025/09/2016-डब्ल्यू-II (सी)]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव और महानिदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2017

S.O. 644(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Scholarship benefit under the schemes listed below involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

(i) Scholarship to the Children of Beedi Workers,

(ii) Scholarship to the Children of Cine Workers,

(iii) Scholarship to the Children of Iron-Mangnese-Chome Ore Workers,

(iv) Scholarship to the Children of Lime Stone and Dolmite Wokers,

(v) Stipend to children in the special schools under the NCLP;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Labour and Employment hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of receiving Scholarship benefit under the schemes listed above is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of receiving Scholarship benefit under the schemes listed above and is not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make an application for Aadhaar enrolment, in case he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at (www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Labour Welfare Organization of the State Government through Welfare Commissioner's Office or Matric or Higher education institutions are required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case of absence of any Aadhaar enrolment center in the vicinity, the Labour Welfare Organization of the State Government may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar and engaging Welfare Commissioner's Office or Matric or Higher education institutions as enrolment agency:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, Scholarship benefit under the schemes listed above shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) Worker's Identity Card (containing dependants Name);

(ii) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(iii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) Identity proofs as under—

(i) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or

(iii) Passport; or

(iv) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(vi) Any other document specified by the State Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government for that purpose.

2. In order to provide convenient and seamless Scholarship benefit under the schemes listed above to beneficiaries, Labour Welfare Organization of the State Government through Welfare Commissioner's Office or Matric or Higher education institutions and other means shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) Wide publicity through media and individual notices through Matric or Higher education institutions shall be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive Scholarship benefit under the schemes listed above and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment center available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres should be made available to them.

(2) In case, beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centers within five to seven km from the Welfare Commissioner's Office or Matric or Higher education institutions or from where they reside, the Labour Welfare Commissioner's Office of the Labour Welfare Organization of the State Government is required to create enrolment facilities at convenient locations. The applicants or beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, Identity card issued by the institute where he is studying, address, mobile number on their web portal and such requests can also be registered with the Welfare Commissioner's Office or Matric or Higher education institutions.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. Z-20025/09/2016-W-II (C)]

R. K. GUPTA, Jt. Secy. and Director General (Labour Welfare)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.02 19:03:52 +05'30'